



Neutral Citation No.- 2026:AHC:35083

एएफआर

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय**

**अंतर्गत धारा 528 बीएनएसएस आवेदन संख्या - 32942 वर्ष 2025**

श्याम बहादुर यादव

..... आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

..... विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता

: आदित्य गुप्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता

: जी.ए., मुन्ना तिवारी, प्रकाश वीर त्रिपाठी

**न्यायालय संख्या - 78**

**माननीय न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना**

1. आवेदक के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री जी.एस. चतुर्वेदी, उनके सहायक विद्वान अधिवक्ता श्री आदित्य गुप्ता, , विपक्षी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश वीर त्रिपाठी, और राज्य के विद्वान एजीए श्री चंद्र बदन को सुना गया।
2. धारा 528 बीएनएसएस के तहत वर्तमान आवेदन आरोपी आवेदक द्वारा दिनांक 9.4.2023 के आरोप पत्र, दिनांक 18.8.2025 के समन आदेश और मुकदमा अपराध संख्या 53/2025 से उद्भूत आपराधिक वाद संख्या 2944/2025 (उत्तर प्रदेश राज्य बनाम श्याम बहादुर यादव) धारा 376(2)(एन) और 420 आईपीसी के तहत अपराध के लिए थाना कोतवाली जिला बस्ती की कार्यवाही को रद्द करने की प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आवेदक की बहन ने घर के बाहर से ताला लगा दिया और हाथों में लाठी-डंडा लेकर अपने घर के बाहर पार्क में चली गई। पीड़िता के परिवार के सदस्यों के साथ आवेदक के परिवार के सदस्यों ने मारपीट की। इस हरकत की जानकारी डायल 112 पर दी गई। बाद में, आवेदक द्वारा बनाए गए दबाव और पैसे की पेशकश के कारण पक्षकारों ने समझौता कर लिया। लेकिन जब कोई कार्यवाही नहीं हुई तो एफआईआर दर्ज कराई गयी।

5. बीएनएसएस की धारा 180 के तहत दिए गए बयान में पीड़िता ने कहा है कि उसकी उम्र 30 वर्ष है। बाकी आरोप वही हैं जो उन्होंने आवेदक के विरुद्ध एफआईआर में लगाए हैं। धारा 183 बीएनएसएस के अन्तर्गत दिए गए बयान में पीड़िता ने कहा है कि वह बीएमएम (ब्लॉक मिशन मैनेजर) है और आवेदक को वर्ष 2016 से जानती थी। लेकिन उसने वर्ष 2018 से उससे बात करना बताया है। उसे वर्ष 2019 में जिला अस्पताल में डेटा एग्जीक्यूटिव के रूप में नौकरी मिली। उसे आवेदक का फोन आया कि वह पीड़िता से मिलना चाहता है और वह उससे मिलने अस्पताल आया। आवेदक अक्सर अस्पताल आता रहता है क्योंकि उसके पिता की तबीयत ठीक नहीं थी। आवेदक और पीड़िता ने मिलना शुरू कर दिया और आवेदक ने पीड़िता को उससे शादी करने का प्रस्ताव दिया। पीड़िता द्वारा दिए गए बाकी बयान वही हैं जो एफआईआर में बताए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि गर्भपात के उद्देश्य से उन्होंने डॉ. प्रमिला सिंह से मुलाकात की है। उसने यह भी खुलासा किया है कि उसकी मां आशंकित हो गई और पीड़िता को पुलिस में मामला दर्ज कराने के लिए कहा। आवेदक ने पांच वर्ष से शादी के झूठे वादे पर पीड़िता के साथ लगातार दुष्कर्म किया है। वह आगे प्रस्तुत करती है कि आवेदक ने किसी न किसी बहाने से पीड़िता के साथ शादी करने की तारीखों को बार-बार आगे बढ़ाया है, लेकिन अंत में, उसने शादी करने से इनकार कर दिया है।

6. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि पीड़िता ने आवेदक के विरुद्ध शादी के झूठे वादे के आरोप लगाए हैं, जिसे वह वर्ष 2016 से जानती थी और उनके बीच दोस्ती वर्ष 2019 में शुरू हुई थी। उन्होंने कहा है कि आवेदक द्वारा उसे शादी का एक प्रस्ताव दिया गया था, जो एक सच्चा प्रस्ताव था, क्योंकि यह धोखा देने के उद्देश्य से झूठा नहीं था। इसके विपरीत, पीड़िता ने स्वयं आवेदक को अपनी पिछली शादी और तलाक की जानकारी न देकर

धोखा दिया है। विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय का ध्यान याचिका संख्या 599/2018 , श्रीमती रेमा बनाम घनश्याम में दिनांक 9.7.2019 को पारित परिवार न्यायालय के निर्णय की ओर दिलाया है, जिसे परिवार न्यायालय द्वारा अनुमति दी गई थी, क्योंकि याचिका पीड़िता और उसके पति के बीच आपसी सहमति से तलाक के लिए थी, जिससे उसने दिनांक 29.6.2017 को शादी की थी। विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि एफआईआर और पीड़िता के बयान को सरसरी तौर से देखने से ही स्पष्ट होता है कि यह दो शिक्षित वयस्कों के बीच आपसी सहमति से बना संबंध है जो वर्ष 2019 से शुरू हुआ और वर्ष 2025 तक चलता रहा। इन वर्षों के दौरान, पीड़िता को शादी के झूठे वादे पर लगातार यौन संबंध का शिकार बनाया गया । यह भी पता चला है कि पीड़िता दो बार गर्भवती हुई और उसका गर्भपात हो गया ।

7. विद्वान अधिवक्ता ने प्रमोद कुमार नवरत्न बनाम छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य जो 2026 आईएनएससी 124 में प्रकाशित किया गया और प्रशांत बनाम दिल्ली राज्य एनसीटी जो 2024 आईएनएससी 879 में प्रकाशित किया गया के मामले पर भरोसा किया है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने वरिष्ठ अधीक्षक, जिला जेल, बस्ती के कार्यालय से दिनांक 13.05.2025 को सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त जानकारी की तरफ भी न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया, जिसे आवेदन के साथ पृष्ठ 300 पर संलग्न किया गया है ,जिससे यह पता चलता है कि पीड़िता दिनांक 03.03.2025 को आवेदक से मिलने जिला जेल, बस्ती आई थी। विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि यह जानकारी आवेदन के पैराग्राफ 66 और 67 में दर्ज की गई है, जिसका पीड़िता द्वारा प्रति शपथपत्र में उत्तर नहीं दिया गया है। सूचना के अधिकार के तहत सूचना प्राप्त करने का उद्देश्य यह है कि आवेदक और पीड़िता के बीच संबंध आपसी सहमति से था। विद्वान अधिवक्ता ने आवेदक और पीड़िता के बीच धन के लेन-देन की ओर भी इस न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया है। इसलिए, आवेदक के विरुद्ध शुरू किए गए आरोप पत्र, समन आदेश और मामले की कार्यवाही को रद्द करने के लिए हस्तक्षेप की मांग की गई है।

8. विद्वान एजीए और विपक्षी संख्या2/पीड़िता, के विद्वान अधिवक्ता ने कहा है कि आवेदक का पीड़िता से शादी न करने का इरादा उनके रिश्ते की शुरुआत से ही था, जो आवेदक

के आचरण से परिलक्षित होता है। विद्वान अधिवक्ता ने यह प्रस्तुत किया कि आवेदक ने पीड़िता से शादी करने का वादा किया है और आवेदक की ओर से ही प्रस्ताव शुरू किया गया था। पीड़िता को यह बताने की कोई आवश्यकता नहीं थी कि वह तलाकशुदा है, क्योंकि शादी का प्रस्ताव आवेदक ने ही दिया था। उन्होंने आगे कहा कि पांच वर्ष से अधिक समय तक, पीड़िता को आवेदक द्वारा दिए गए विवाह के झूठे वादे पर यौन संबंध बनाए गए थे। अभिलेख पर यह दिखाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं कि पीड़िता के साथ बलात्कार किया गया है और यौन संबंध के लिए पीड़िता की सहमति आवेदक द्वारा धोखे से प्राप्त की गई थी। भारतीय दंड संहिता की धारा 90 के प्रावधान का हवाला दिया कि पीड़िता की सहमति तथ्य की गलत धारणा के कारण थी। पीड़िता के विद्वान अधिवक्ता ने **2019 लॉसूट (एससी) 1053** में प्रकाशित **अनुराग सोनी बनाम छत्तीसगढ़ राज्य** के मामले पर भरोसा किया है। इस बात पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के आधार पर स्पष्ट रूप से विवाह के झूठे वादे पर बलात्कार के अपराध के लिए आरोपी को दोषी पाया। उन्होंने निर्णय के पैराग्राफ 9 और 14 पर भरोसा किया और **2019 लॉसूट (एससी) 1504** में प्रकाशित किए गए **प्रमोद सूर्यभान पवार बनाम महाराष्ट्र राज्य** के मामले पर भरोसा किया, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने तथ्य की गलत धारणा और सहमति प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति द्वारा किए गए धोखे को स्पष्ट रूप से समझाया है। उन्होंने **2025 लॉसूट (एससी) 1063** में प्रकाशित **रवि पाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य** के निर्णय पर भी भरोसा किया, जिसे इस न्यायालय ने दिनांक 4.11.2025 को प्रमोद सूर्यभान पवार (उपरोक्त) के मामले में निर्धारित कानून के सिद्धांतों पर विचार करते हुए निर्णय दिया था। विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदन गुण-दोष से रहित है और इसे खारिज कर दिया जाना चाहिए।

9. न्यायालय ने विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत की गई प्रतिद्वंद्वी तर्कों पर विचार किया और अभिलेखों का अवलोकन किया है।

10. अभिलेख पर मौजूद सामग्री, विशेष रूप से एफआईआर, पीड़िता के बयान और अन्य तथ्यों से निकाले गए तथ्यों नीचे दोहराया गया है: -



- (1) पीड़िता ने कहा है कि वह आवेदक को वर्ष 2016 से जानती है, हालांकि एफआईआर में वह उसे वर्ष 2019 से जानती थी;
  - (2) पीड़िता वर्ष 2019 में जिला अस्पताल में नौकरी कर रही थी, जब आवेदक का फोन उससे मिलने के लिए आया, जिस पर आवेदक उससे मिलने अस्पताल आया था;
  - (3) आवेदक ने वर्ष 2019 में पीड़िता को शादी का प्रस्ताव दिया था और परिवारों के बीच शादी की बातचीत भी हुई थी और पीड़िता का परिवार शादी के लिए तैयार था;
  - (4) आवेदक ने शादी के लिए समय लिया क्योंकि वह नौकरी की तलाश में था;
  - (5) वर्ष 2020 में पीड़िता दो बार गर्भवती हुई। एफआईआर के साथ-साथ पीड़िता के बयान में भी दिनांक 5.10.2020 की तिथि दिखाई है, जिससे यह परिलक्षित होता है कि उस तिथि को पीड़िता को शादी के झूठे वादे पर पहली बार यौन संबंध बनाए गए थे। यदि यह पहली बार यौन संबंध की तिथि है तो यह कैसे कहा जा सकता है कि पीड़िता वर्ष 2020 में दो बार गर्भवती हुई थी;
  - (6) वर्ष 2020 से वर्ष 2025 तक, एफआईआर दर्ज करने से पहले पीड़िता को शादी के झूठे वादे पर लगातार यौन संबंध बनाए गए थे;
  - (7) आरोप है कि नौकरी मिलने के बाद वर्ष 2023, में आरोपी के व्यवहार में बदलाव आया है और उसने पीड़िता से शादी करने से इनकार कर दिया है।
11. वर्तमान मामले में चिंता का विषय यह है कि क्या कार्यवाही जारी रखना कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग के समान होगा या अभियुक्त के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य है जिसके आधार पर विचारण जारी रखा जाना चाहिए ।
12. अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों से निकाले गए तथ्यों पर पहले ही ऊपर चर्चा की जा चुकी है। अब, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से प्रतिपादित सिद्धांतों पर चर्चा की जानी है जिन पर पक्षकारों ने भरोसा किया है।

13. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उद्धृत **प्रमोद कुमार नवरत्न (उपरोक्त)** के मामले में, दो प्रासंगिक पैराग्राफ, जो विवाह के झूठे वादे पर यौन संबंध से संबंधित पर विचार किया गया हैं, जिन्हे नीचे दोहराया गया है: -

"24. वर्तमान मामले में लगाए गए आरोपों के अवलोकन पर, यह एक स्वीकृत तथ्य है कि शिकायतकर्ता- विपक्षी संख्या 3, ने प्रारंभिक मुलाकातों में ही आरोपी-अपीलकर्ता को बताया था कि वह एक विवाहित महिला थी और परिवार न्यायालय के समक्ष तलाक की कार्यवाही लंबित है। इसलिए, तत्क्षण, उसे यह दावा करने और आरोप लगाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है कि उसे अभियुक्त-अपीलकर्ता द्वारा शादी के झूठे बहाने से उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए भी फुसलाया गया था क्योंकि दोनों तथ्य एक ही स्तर पर और एक साथ खड़े नहीं हो सकते हैं क्योंकि दोनों परस्पर विरोधी और एक-दूसरे के विपरीत हैं। हमारी राय में, वर्तमान मामले के तथ्य स्पष्ट रूप से एक सहमतिपूर्ण संबंध के बिगड़ने का संकेत देते हैं, जबकि दोनों पक्षों को संयम बरतना चाहिए था और अपने व्यक्तिगत संबंधों में राज्य को शामिल करने से बचना चाहिए था।

25 इस अवसर पर, प्रशांत बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्य, (2025) 5 एससीसी 764, में दी गयी टिप्पणियों पर भरोसा करना महत्वपूर्ण है, जिसमें इस न्यायालय ने हम में से एक (नागरत्ना, न्यायमूर्ति) के माध्यम से कहा था कि एक सहमति से बने दंपति के बीच संबंध के टूटने मात्र से आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती है। प्रारंभिक चरणों में पक्षकारों के बीच जो संबंध सहमति से बना था, उसे आपराधिकता का रंग नहीं दिया जा सकता है जब वह संबंध विवाह में परिवर्तित नहीं हो पाता । इसके अलावा, इस न्यायालय ने समाधान बनाम महाराष्ट्र राज्य, 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 2528, में हम में से एक (नागरत्ना, न्यायमूर्ति) ने कहा कि इस न्यायालय, ने कई मौकों पर उस चिंताजनक प्रवृत्ति, पर ध्यान दिया है जिसमें असफल या टूटे हुए रिश्तों को आपराधिकता का रंग दिया जाता है। बलात्कार का अपराध, जो कि सबसे गंभीर प्रकार का होने के कारण,

केवल उन मामलों में लागू होना चाहिए जहां वास्तविक यौन हिंसा, जबरदस्ती, या स्वतंत्र सहमति का अभाव मौजूद हो। हर बिगड़े रिश्ते को बलात्कार के अपराध में बदलना न केवल अपराध की गंभीरता को तुच्छ बनाता है, बल्कि आरोपी को अमित कलंक और गंभीर अन्याय भी थोपता है। ऐसे मामले केवल व्यक्तिगत कलह के दायरे से परे हैं। इस संबंध में आपराधिक न्याय व्यवस्था का दुरुपयोग न्यायपालिका के लिए गहरी चिंता का विषय है जो पहले से ही भारी बोझ का सामना कर रही है और इसकी कड़ी निंदा की जानी चाहिए।”

14. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने **प्रशांत (उपरोक्त)**, के मामले पर भी भरोसा किया, इस मामले को पिछले मामले में पैराग्राफ 25 में प्रतिवेदित किया गया है कि इस बिंदु पर सहमति देने वाले जोड़े के बीच संबंध के टूटने मात्र से आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं हो सकती है।
15. विपक्षी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता ने **अनुराग सोनी (उपरोक्त)**, के एक मामले पर विशेष रूप से पैराग्राफ 9 और 14 पर भरोसा किया है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विचारण के दौरान प्रस्तुत किए गए अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों पर विचार किया और इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पाया है कि विचारण न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय दोनों ने आवेदक/अपीलकर्ता को विवाह के झूठे वादे पर बलात्कार के अपराध के लिए की गयी दोषसिद्धि को सही ठहराया है, यह देखते हुए कि अभियुक्त द्वारा प्राप्त सहमति शुरू से ही भ्रामक है, प्रासंगिक पैराग्राफ यहां नीचे उद्धृत किए गए हैं: -

"[9] वर्तमान मामले में, आरोपी को आईपीसी की धारा 376 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है। अपीलकर्ता-अभियुक्त की ओर से यह तर्क दिया गया है कि चूंकि यह सहमति से यौन संबंध का मामला है, इसलिए अवर न्यायालय ने आईपीसी की धारा 376 के तहत अपराध के लिए आरोपी को दोषी ठहराने में त्रुटि की है। दोनों अवर न्यायालयों ने अभियोजन पक्ष के मामले को स्वीकार किया है कि पीड़िता की सहमति तथ्य की गलत धारणा के आधार पर दी गई थी और इसलिए,

आईपीसी की धारा 90 पर विचार करते हुए, ऐसी सहमति को सहमति नहीं कहा जा सकता है और इसलिए, आरोपी ने आईपीसी की धारा 375 के तहत परिभाषित बलात्कार किया है और इस तरह आईपीसी की धारा 376 के तहत अपराध किया है। इसलिए, इस न्यायालय के समक्ष जो प्रश्न उठाया गया है वह यह है कि क्या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में और अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों पर विचार करते हुए, अवर न्यायालयों ने आईपीसी की धारा 376 के तहत अभियुक्त को अपराध के लिए दोषी ठहराने में कोई गलती की है?

XXXX

[14] मामले के उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों और अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए, अभियोजन पक्ष इस मामले को साबित करने में सफल रहा है कि शुरू से ही अभियुक्त ने कभी भी पीड़िता से शादी करने का इरादा नहीं किया था; उसने पीड़िता से शादी करने के का झूठा वादे/वादा किया और इसी झूठे वादे के आधार पर उसने पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाए; पीड़िता ने शुरू में विरोध किया, हालांकि, अभियुक्त के इस झूठे वादे पर भरोसा करते हुए कि वह उससे शादी करेगा, उसने सहमति दे दी, उसकी सहमति को आईपीसी की धारा 90 के अनुसार तथ्य की गलत धारणा पर सहमति कहा जा सकता है और इस तरह की सहमति को बलात्कार और आईपीसी की धारा 375 के तहत अपराध आरोप से मुक्त नहीं करेगी। हालांकि, धारा 313 के तहत दिए गए बयान में, आरोपी ने यह दावा किया है कि पीड़िता और उसके परिवार के सदस्यों को पता था कि प्रियंका सोनी, के साथ उसकी शादी पहले से ही तय हो चुकी थी, फिर भी, पीड़िता और उसके परिवार के सदस्यों ने अभियुक्त से शादी करने के लिए आरोपी पर दबाव डालना जारी रखा, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि सबसे पहले आरोपी द्वारा यह साबित नहीं किया गया है। अन्यथा भी, यहां ऊपर उल्लिखित परिस्थितियों और अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए, ऐसी कहानी विश्वसनीय नहीं लगती है। वर्तमान मामले में पीड़िता बी. फार्मसी में पढ़ने वाली एक शिक्षित लड़की थी। इसलिए, यह

विश्वास करने योग्य नहीं है कि यह जानने के बावजूद कि अपीलकर्ता की शादी किसी अन्य महिला - प्रियंका सोनी, के साथ तय हो चुका है, वह और उसके परिवार के सदस्य आरोपी पर शादी करने के लिए दबाव डालते रहे और पीड़िता शारीरिक संबंध के लिए सहमति दे दे । अपने बयान में, पीड़िता ने स्पष्ट रूप से कहा कि उसने शुरू में शारीरिक संबंध के लिए अपनी सहमति नहीं दी थी, हालांकि, अपीलकर्ता के शादी करने के वादे पर भरोसा करते हुए, उसने अपीलकर्ता आरोपी के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए सहमति दे दी। यहां तक कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 114-ए पर विचार करते हुए, जिसे बाद में जोड़ा गया है, एक अनुमान लगाया जा सकता है और न्यायालय यह मान सकता है कि उसने आरोपी के शादी करेगा के वादे पर भरोसा करते हुए उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की सहमति दी थी । जैसा कि ऊपर बताया गया है, शुरुआत से ही, अभियुक्त द्वारा पीड़िता से शादी करने का वादा एक झूठा वादा था और शुरू से ही अभियुक्त का पीड़िता से शादी करने का कोई इरादा नहीं था क्योंकि प्रियंका सोनी के साथ उसकी शादी बहुत पहले से ही तय हो चुकी थी और इसके बावजूद, उसने वादा/ झूठा वादा करता रहा और पीड़िता को शारीरिक संबंध के लिए अपनी सहमति देने के लिए उकसाता रहा । इसलिए, मामले के उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए और इस न्यायालय द्वारा उपरोक्त निर्णयों में निर्धारित कानून पर विचार करते हुए, हमारी राय है कि दोनों अवर न्यायालयों ने सही माना है कि पीड़िता द्वारा दी गई सहमति तथ्य की गलत धारणा पर आधारित थी और इसलिए, इसे सहमति नहीं कहा जा सकता ताकि अभियुक्त को आईपीसी की धारा 375 के तहत परिभाषित बलात्कार के आरोप के लिए बरी किया जा सके । दोनों अवर न्यायालयों ने आईपीसी की धारा 376 के तहत अपराध के लिए आरोपी को सही दोषी ठहराया है।”

16. विपक्षी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता ने **प्रमोद सूर्यभान पवार (उपरोक्त)** के मामले पर भरोसा किया है, जिस पर इस न्यायालय ने पहले **रवि पाल (उपरोक्त)** में पारित किए गए

अपने निर्णय के पैराग्राफ 11 पर भरोसा किया है , जिसमें प्रमोद सूर्यभान के निर्णय के पैराग्राफ 18 को दोहराया गया है। उसी को यहां दोहराया गया है: -

"[18] उपरोक्त मामलों से जो कानूनी स्थिति सामने आती है, उसे संक्षेप में प्रस्तुत करने के लिए, धारा 375 के संबंध में एक महिला की "सहमति" में प्रस्तावित कृत्य के प्रति सक्रिय और तर्कसंगत विचार-विमर्श शामिल होना चाहिए। यह स्थापित करने के लिए कि क्या "सहमति" शादी करने के वादे से उत्पन्न होने वाली "तथ्य की गलत धारणा" से दूषित हो गयी थी, दो प्रस्ताव स्थापित किए जाने चाहिए। शादी का वादा एक झूठा वादा होना चाहिए, जो दुर्भावना से दिया गया हो और जिस समय दिया गया था उस समय उसका पालन करने का कोई इरादा नहीं था। झूठा वादा स्वयं तत्काल प्रासंगिक होना चाहिए, या महिला के यौन क्रिया में शामिल होने के निर्णय के साथ उसका सीधा संबंध होना चाहिए।"

17. यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि हर मामले के तथ्य अलग-अलग होते हैं और इसलिए पूर्ववर्ती निर्णयों को लागू करने के लिए सावधानीपूर्वक न्यायिक विश्लेषण की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, एक आपराधिक मामले को रद्द करने के लिए अंतर्निहित क्षेत्राधिकार का आह्वान करते हुए, परीक्षण यह है, कि यदि मामले के तथ्य, को सत्य मान लिया जाय, तो क्या दोषसिद्धि समाप्त हो सकती हैं। सीआरपीसी की धारा 482 या 528 बीएनएसएस के तहत उच्च न्यायालय द्वारा लागू करने वाली की शक्तियों का दायरा बहुत व्यापक है, लेकिन इसका प्रयोग सावधानी के साथ और दुर्लभतम और उपयुक्त मामलों में ही किया जाना चाहिए। यह शक्ति मनमानी और सनक के अनुसार कार्य करने के लिए मनमाना क्षेत्राधिकार प्रदान नहीं करती है और इसका उपयोग कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने और न्याय के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। कानून की यह पूर्वधारणा **कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय बनाम हरियाणा राज्य (1977) 4 एससीसी 451 और हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल, 1992 सप्ली (1) एससीसी 335 में प्रतिवेदित** के मामलों में प्रतिपादित की गई है। **सोम मित्तल बनाम कर्णाटक सरकार, (2008)3 एससीसी 574 में प्रकाशित** किया गया है, माननीय उच्चतम न्यायालय ने दंड

प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के दायरे का वर्णन करते हुए 'दुर्लभतम से दुर्लभतम मामले' कहा था। इस दृष्टिकोण को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आज तक लगातार बनाए रखा गया है, जिसे 'अनेकों' निर्णयों द्वारा स्थापित किया गया है, जिसमें नवीनतम है **नरेश पॉटरी बनाम आरती इंडस्ट्रीज**, जो 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 18 में प्रतिवेदित किया गया और **पुनीत बेरीवाला बनाम दिल्ली राज्य (एनसीटी)**, जो 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 983 में प्रतिवेदित किया गया।

18. वर्तमान मामले में, यह तथ्य है कि पीड़िता एक तलाकशुदा महिला थी। पीड़िता के तलाक का उल्लेख कभी भी एफआईआर या पीड़िता के बयान में नहीं किया गया है, हालांकि यह एक स्वीकृत तथ्य है। यह भी एक तथ्य है कि आवेदक और पीड़िता के बीच शादी के वादे पर संबंध वर्ष 2019 से शुरू हुआ था, जो वर्ष 2025 तक लंबी अवधि तक जारी रहा। यह भी एक स्वीकृत तथ्य है कि आवेदक और पीड़िता शिक्षित हैं, नौकरी करते हैं और उनके बीच नियमित रूप से यौन संबंध थे। अब, चिंता का विषय केवल सहमति या सहमति नहीं के बारे में है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने कई निर्णयों में यह टिप्पणी की है कि यदि दो सक्षम वयस्क दीर्घकालिक शारीरिक संबंध बनाए रखते हैं, तो यह माना जाएगा कि उन्होंने अपनी स्वेच्छा से सहमति से संबंध बनाए हैं और बाद में विवाह के वादे को पूरा न करने पर कोई अपराध नहीं होगा। यह सादृश्य **रवीश सिंह राणा बनाम उत्तराखंड राज्य** के मामले से लिया गया है, जो 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 1055 (पैराग्राफ 14,15) में प्रतिवेदित और प्रशांत(उपरोक्त) के उद्धृत मामले के पैराग्राफ 20 में किया गया था।
19. ऊपर की गई चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय का यह विचार है कि कार्यवाही जारी रखना न्याय का उल्लंघन होगा। अभिलेखों पर उपलब्ध सामग्री के अवलोकन से विचारण को जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है।
20. धारा 528 बीएनएसएस के अन्तर्गत आवेदन स्वीकृत किया जाता है।



21. परिणामस्वरूप, मुकदमा अपराध संख्या 53/2025 से उद्भूत आपराधिक मामला संख्या 2944/2025 (उत्तर प्रदेश राज्य बनाम श्याम बहादुर यादव), धारा 376(2)(एन) और 420 आईपीसी, के तहत अपराध के लिए थाना कोतवाली, जिला बस्ती में, की कार्यवाही, जिसमें दिनांक 9.4.2023 के आरोप पत्र, दिनांक 18.8.2025 के समन आदेश सम्मिलित हैं, को रद्द किया जाता है।

(अवनीश सक्सेना, न्यायमूर्ति)

फरवरी 17, 2026